संoसंo–9/आo–1–80/2004

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डॉ0 संजय कुमार तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसण्डो, मुंगेर द्वारा दिनांक 27.09.1996 को यह सूचित किया गया है कि वे उच्च शिक्षा हेतु विदेश जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें विभागीय पत्रांक – 806 (3) दिनांक 04.09.1995 द्वारा 03 माह के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया, परन्तु पारिवारिक कारणवश उस समय वे अध्ययन हेतु विदेश नहीं जा सके। अपनी सुविधानुसार स्वतः विरमित होकर वे प्रस्थान कर गए, जिसके लिए उन्होंने विभाग से कोई अनुमति नहीं ली और न ही कोई अवकाश स्वीकृत कराया। डा0 संजय कुमार अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डॉ0 संजय कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0 161(9) दिनांक 19.02.05 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 – 419 (9) दिनांक 30.03.2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय पत्रांक 905(9) दिनांक 28.06.05 एवं 679(9) दिनांक 27.7.2015 तथा प्रेस विज्ञप्ति द्वारा डॉ0 संजय कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा की गई। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरात डॉ0 संजय कुमार के विरूद्ध 5 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम– 76 के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

अतः डॉ0 संजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसण्डो मुंगेर को पाँच वर्षो से अधिक लगातार अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है। निलंबन अवधि के लिए डा0 संजय कुमार को नियमानुसार उक्त अवधि में मुख्यालय में उपस्थिति के आधार पर मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 संजय कुमार एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 1309 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 08/12/2016

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी मुंगेर/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन मुंगेर/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 संजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसण्डो मुंगेर पता पिता श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, शक्ति कुटीर, पटेल नगर, रोड नं0–10, पटना–23 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx